न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

GCMS No- 2020/00226 (Bank Case)
Manual no- 98/2020

एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर में स्थित व कार्यरत है ।

– प्रार्थी

बनाम

1. श्री पुष्प चंद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति बैरवा निवासी 603, वार्ड न. 01, बीड के बालाजी के पास, बालेता रोड, थर्मल कोलोनी जिला कोटा (राज.) 324008
(ऋणी / बंधककर्ता)
2. श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री पुष्प चंद जाति बैरवा निवासी 603, वार्ड न. 01, बीड के बालाजी के पास, बालेता रोड, थर्मल कोलोनी जिला कोटा (राज.) 324008
दुसरा पता :– बापु नगर, कच्ची बस्ती, बालेता रोड तहसील लाडपुरा जिला कोटा
(सह–ऋणी/बंधनकर्ता)
3. श्री जीतेन्द्र पुत्र श्री राधाकिशन निवासी 119, वार्ड न. 18, लाखेरी, तहसील इन्द्रगढ जिला बूंदी (राज.) **(जमानती)**
4. श्री मोहनलाल बंशीवाल पुत्र श्री लादू राम बंशीवाल जाति बंशीवाल निवासीवार्ड न. 08, सरकारी स्कूल के पास, इंद्रा गॉधी नगर, जिला कोटा (राज.) 324004
(जमानती)

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–
श्री धीरेन्द्र धाकड़, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः– 23.12.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि एस.आर जी हाउसिंग फाईनेंस लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक कार्यालय 321, एस एम लोडा कॉम्पलेक्स, शास्त्री सर्कल उदयपुर से अप्रार्थीगण ने दिनांक 30.12.2017 को 3,50,000/– (अक्षरेः रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र ।) का ऋण लिया था । अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे बंधक **अचल सम्पत्ति श्री पुष्पचंद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण व श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री पुष्पचंद जाति बैरवा की सम्पति जो पट्टा संख्या 16788 मकान संख्या Ray–1535, बापु नगर, कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 297.5 वर्ग फीट है । चतुःसीमा– पूर्व में– रोड़ , पश्चिम में–अन्य का मकान , उत्तर में–श्री रमेश का मकान, दक्षिण में– श्री राधेश्याम का मकान ,जिसका पट्टा नगर विकास न्यास द्वारा क्रमांक/नियमन–आवंटन/2013/377 दिनांक 17.04.2013 से अप्रार्थीगण के नाम जारीसुदा है,** को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 12.06.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते में 4,43,640 रूपये (अक्षरेः– चार लाख तैंयालीस हजार, छः सौ चालीस रूपये मात्र ।) दिनांक 26.07.2019 तक व दिनांक 27.7.2019 से आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है

। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 01.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नही संभलाया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने दिनांक 01.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 01.08.2019 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये गये नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की **अचल सम्पत्ति श्री पुष्पचंद पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण व श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री पुष्पचंद जाति बैरवा की सम्पति जो पट्टा संख्या 16788 मकान संख्या Ray–1535, बापु नगर, कोटा (राज.) पर स्थित है जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 297.5 वर्ग फीट है । चतु:सीमा– पूर्व में– रोड़ , पश्चिम में–अन्य का मकान , उत्तर में–श्री रमेश का मकान, दक्षिण में– श्री राधेश्याम का मकान ,जिसका पट्टा नगर विकास न्यास द्वारा कमांक/नियमन–आवंटन/2013/377 दिनांक 17.04.2013 से अप्रार्थीगण के नाम जारीसुदा है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 23.12.2020 को सुनाया गया ।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट